"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक-शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ्/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2009-फाल्गुन 26, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2009

क्र. 2086/डी. 58/21-अ/प्रा./छ. ग./09 — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-02-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

#### छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2009)

## छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2008

#### सूची

	•	
	खण्ड	शीर्षक
٠.	•	
-	1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
	2.	परिभाषायें.
	3.	अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध.
	4.	प्रश्नपत्र की प्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटींकरण.
	T•	No. of the state o
	5.	ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गृया है, जानकारी देने का निषेध.
	*	0
	6.	परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध.
	7.	प्रबंधतंत्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी पंरीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा.
	8.	ंसार्वजनिक परीक्षा के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा.
1 .		सामिकानमा नराया का राज्य नराया कर र राज्य गराया कर र राज्य ना उपना मार्च र मार्च र मार्च र मार्च र मार्च र मार्च
	9.	अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये शास्ति.
	10.	जानकारी देने के लिये शास्ति.
	10.	जानमारा प्राचन साम्यतः
	11.	उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति.
	12.	प्रक्रिया.
	13.	सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
	14.	अनुसूची संशोधन करने की शक्ति.
	15.	नियम बनाने की शक्ति.

#### छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2009)

### छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2008

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिये और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

' (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2008 कहा स जायेगा

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,---

परिभाषाएं.

- (क) "परीक्षा केन्द्र" से अभिप्रेत है, किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान, और इसके अंतर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर ;
- (ख) "परीक्षार्थी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजिनक परीक्षा में सिम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सिम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;
- (ग) "सार्वजनिक परीक्षा" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा जो उसमें विधिपूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिये संचालित की जाये;
- (घ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में जबकि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधन" से अभिप्रेत है, अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित अंकित (रिकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन या वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यंत्र या जुगत का अप्राधिकृत प्रयोग.
- कोई परीक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा.

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध.

4. कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्त्तव्य पालन के संबंध में ऐसा करने के लिये प्राधिकार अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र के वितरण के लिये निर्धारित समय से पूर्व :-

प्रश्नपत्र की प्राधिकृत प्राप्ति प्रकटीकरण.

- (क) न तो ऐसे प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को या उसके किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा.
- (ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित या व्युत्पन्न या संदर्भित है.

ऐसे व्यक्ति द्वारा परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध. 5. कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्त्तव्यों के पालन के संबंध में ऐसा कार्य करने की अनुज्ञा दी गई हो, ऐसी सूचना या उनके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रगट करेगा और न प्रगट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा.

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेघ. 6. कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षा का अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा.

प्रबंधतंत्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं कोरगा. 7. कोई व्यक्ति जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन में उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबंधतंत्र में होते हुए या कर्मचारियों में होते हुये या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा.

सार्वचनिक परीक्षा के लिये परीक्षा केन्द्र से पिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा.  कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के, प्रयोजन के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा, और न उपयोग करने देगा.

अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये शास्ति. 9. जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जायेगा.

जानकारी देने के लिए शास्ति. 10. जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जायेगा.

उपहित आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति. 11. जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु की या उपहति की या हमले का सदोष अवरोध का भयकारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अविध पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों से दंडित किया जायेगा.

प्रक्रिया

- 12. (1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा.
  - (2) धारा 10 या 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा.
  - (3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मिनस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. 13. राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशियत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी.

अनुसूची संशोधन करने की शक्ति. 14. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझती है अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी.

- 15. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना विषय बनाने की शक्ति.
  - (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

#### ् अनुसूची (धारा 2ग देखिये)

- (1) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के अधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक /डी. एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि/अन्य मण्डल द्वारा संचालित परीक्षायें.
- (2) छत्तीसगढ़ के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित कोई परीक्षा.

#### रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2009

क्र. 2086/डी. 58/21-अ/प्रा./छ. ग./09 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक 'परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 2 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

## CHHATTISGARH PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2008

#### CONTENTS

Section	Title
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
3.	Prohibition of the use of unfair means.
4.	Unauthorized possession and disclosure of Question paper.
5.	Prohibition to give information by such person to whom examination work is handed over.
6.	Prohibition on entry into and examination centre.
<b>7</b> .	No person on the management etc. shall assist to an examinee,
8.	No place other than examination centre shall be used for public examination.
9.	Penalty for use of unfair means.
10.	Penalty for leakage.
u.,	Penalty for offence with preparation to cause hurt etc.
2.	Procedure.
3.	Protection of action taken in good faith.
4.	Power to amend Schedule.
5	Power to make Rules.

## CHHATTISGARH ACT (No. 2 of 2009)

## CHHATTISGARH PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2008

An Act to prevent the leakage of question papers and use of unfair means in a public examination and to provide for matter connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the fifty-ninth year of Republic of India.

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Public Examination (Prevention of unfair means) Act, 2008.

  Short title, extent and commencement.
  - (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
  - (3) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Examination Centre" means any institution or part thereof or any other place fixed for the holding of a public examination and includes the entire premises attached thereto;
- (b) "Examinee" means a person who has been granted permission to appear in a public examination and includes a person authorized to act as scribe on his behalf;
- (c) "Public Examination" means an examination specified in the Schedule, conducted for the awarding or granting of any degree, diploma, certificate or any other academic distinction to a person who is lawfully declared to have been successful at such examination:
- (d) "Unfair means" in relation to an examinee while answering questions in a public examination means the unauthorized help from any person directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed, in any form whatso ever, or the use of any unauthorized telephone, wireless or electronic or other instrument or gazctte.
- No examinee shall use unfair means in any public examination.

Prohibition of the use of unfair means.

4. No person, who is not lawfully authorized or permitted by Unauthorized, virtue of his duties so to do shall, before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination-

Possession and disclosure of question paper.

- (a) procure or attempt to procure or possess such question paper or any portion or a copy thereof; or
- (b) either give any information, nor promise to give such information to any person, for which he has knowledge or reason to believe, that, such information is related to or in reference to or proficient to such question paper.
- 5. No person, who is entrusted with any work pertaining to public exconation shall except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly vulge or attempt to divulge or make known to any other person any information or part thereo which has come to his knowledge by virtue of the work entrusted to him.

Prohibition to give information, by such person to whom examination work is handed over.

Prohibition on entry into an Examination Centre.

No person, who is not entrusted with any work pertaining to public examination, or who is not an examinee shall during the continuance of public examination inter into an examination centre or having entered into such centre remain there or provide any help or assistance to an examinee in using unfair means in the public examination.

No person on the management etc. shall assist to an examinee.

No person, who is on the mangement or on the staff of an institution which is being used for the holding of a public examination, or who is entrusted with any work pertaining to public examination, shall provide any help or assistance to an examinee in using unfair means in public examination.

No place other than examination centre shall be used for public examination.

No person shall use or cause to be used any place, other than the examination centre, for the purposes of holding of public examination.

Penalty for use of unfair means.

·Whoever, contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section-3 shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees.

Penalty for leakage.

Whoever, contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section-4 or section-5 or section-6 or section-7 or section-8, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.

Penalty for offence with preparation to cause hurt etc.

Whoever, commits an offence punishable under section 9 or section 10 having made 11. preparation for causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Procedure.

- LAGRED AND STREET STREET An offence punishable under section 9 shall be cognizable and bailable. 12. (1)
  - An offence punishable under section 10 or 11 shall be cognizable and non-(2). bailable.
  - egis egeng good is sales is All offences punishable, under this Act shall be tried summarily by a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall mutatis mutandis apply to such summary trial.

Protection of action taken in good faith.

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or 13. any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the I more and the said the said of rules made there under.

Power to amend Schedule.

The State Government may by notification, include in the Schedule, any other examina-14. tion in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication of such notification in the Gazette, the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

' to make Power Rules.

(1) ... The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Lyrer had a mysta

(2) Every rule made under this act, shall as soon as possible be laid on the table of the Legislative Assembly 4. 1

### SCHEDULE [See Section 2 (c)]

- 1. Examination conducted by Chhattisgarh Secondary Education Board under Chhattisgarh Secondary Education Act, 1965 High School/Higher Secondary/ Professional Higher Secondary/D. Ed. (First and Second Year)/ Diploma in Physical Training/ and examination conducted by other Board.
- 2. Any examination conducted by any University or any other council or company established by or under any Act of Chhattisgarh.

